उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं0 /2009/ 108(120) /XXVII(8)/02
दिनांकः: देहरादूनः: 3 मार्च, 2009

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 80 की उपधारा (12) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 21 की उपधारा (2) के छटे परन्तुक तथा साथ ही सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, के अधीन वर्ष 2005–2006 (प्रथम भाग) (दिनांक 01–04–2005 से 30–09–2005) के लिये कर निर्धारण अथवा पुनः करनिर्धारण दिनांक 30–09–2009 तक किया जा सकता है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 152/2009/ 108(120) /XXVII(8)/02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3–गार्ड फाइल हेतु/ एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(सी0एस0रौमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

8462
4-3-09

New Vigyapti Lambit Vaad (First Part) 30-09-2009/DT

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.152/2009/ 108(120) /XXVII(8)/02 dated 3 March, 2009 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 152/2009 / 108(120)/ XXVII(8)/ 02

Dehradun :: Dated:: 3 March, 2009

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 80 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 read with sixth proviso to sub-section (2) of section 21 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order 2007, and also read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand). the Governor is pleased to order that tax assessment or tax reassessment of cases under the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order.2007, for the year 2005-2006 (first part) (from 01-04-2005 to 30-09-2005) can be made upto 30-09-2009.

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY FINANCE